(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अधिसूचना

सं. 15/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई, 2017

सा.का.नि. (अ)- जबकि "इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न रंगीन यार्न और बीम प्रकार इलास्टोमेरिक यार्न को छोड़कर 150 डेनियर्स तक और सहित सभी डेनियर्स" (एतद्पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 5404 11 00 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और जो ईरान, कतर और चीन जनवादी गणराज्य (एतद्पश्चात विषयागत देशों के रूप में उल्लिखित) में मूलत: उत्पादित अथवा वहां से भारत में आयातित है के मामले में पदनामित प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/19/2015-डीजीएडी, दिनांक 24 मार्च, 2017 के जरिए अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि-

(क) विषयगत देशों से भारत को विषयगत वस्तु का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद का पाटन हुआ है;

(ख) विषयगत वस्तु के संदर्भ में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(ग) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति विषयगत देशों के पाटित आयातों के कारण हुई है।

जबकि पदनामित प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से मूलत: उत्पादित अथवा निर्यातित विषयगत वस्तु तथा भारत में आयातित माल पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके ।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (I) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पदनामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्द्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है ।

सारणी

क्रस.	टैरिफ मद	वस्तु विवण	विनिर्देशन	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5404 11 00	इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न	रंगीन यार्न और बीम प्रकार इलास्टोमेरिक यार्न को छोड़कर 150 डेनियर्स तक और सहित सभी डेनियर्स	चीन जंनवादी गणराज्य	चीन जंनवादी गणराज्य	हेंगझू सनराइज स्पेन्डेक्स कं0 लि0	हेंगझू सनराइज स्पेन्डेक्स कं0 लि0	2.74	किग्रा0
2	5404 11 00	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	यंताई टेहो एडवांस्ड मैटेरियल्स कं0 लि0	यंताई टेहो एडवांस्ड मैटेरियल्स कं0 लि0	3.34	किग्रा0
3	5404 11 00	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	इंविस्टा फाइबर (शंघाई) कं0 लि0, इंविस्टा फाइबर कं0 लि0, इंविस्टा फाइंबर्स(फोशान) कं0	इंविस्टा सिंगापुर पीटीई लि0, सिंगापुर	0.48	किग्रा0

						लि0			
4	5404 11 00	-वही-	-वही-	चीन जंनवादी गणराज्य	चीन जंनवादी गणराज्य	कोई	कोई	3.44	किग्रा0
5	5404 11 00	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	केाई	कोई	3.44	किग्रा0
6	5404 11 00	-वही-	-वही-	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	3.44	किग्रा0
7	5404 11 00	-वही-	-वही-	दक्षिण कोरिया	दक्षिण कोरिया	हौसंग कार्पोरेशन	हौसंग कार्पोरेशन	0.0	किग्रा0
8	5404 11 00	-वही-	-वही-	दक्षिण कोरिया	दक्षिण कोरिया	टी. के. कैमिकल्स कार्पोरेशन	टी. के. कैमिकल्स कार्पोरेशन	0.15	किग्रा0
9.	5404 11 00	-वही-	-वही-	दक्षिण कोरिया	दक्षिण कोरिया	टी. के. कैमिकल्स कार्पोरेशन	चोन वोंग टैक्सटाइल्स कं0 लि0	0.79	किग्रा0
10.	5404 11 00	-वही-	-वही-	दक्षिण कोरिया	दक्षिण कोरिया	टी. के. कैमिकल्स कार्पोरेशन	विनविन कार्पोरेशन , कारिया	0.69	किग्रा0
11.	5404 11 00	-वही-	-वही-	दक्षिण कोरिया	दक्षिण कोरिया	टी. के. कैमिकल्स कार्पोरेशन	हंसविल कं0 लि0 , कोरिया	0.97	किग्रा0
12.	5404 11 00	-वही-	-वही-	दक्षिण कोरिया	दक्षिण कोरिया	टी. के. कैमिकल्स कार्पोरेशन	फोट्रस्ट कं0 लि0 कोरिया	0.86	किग्रा0
13.	5404 11 00	-वही-	-वही-	दक्षिण कोरिया	दक्षिण कोरिया	टी. के. कैमिकल्स कार्पोरेशन	एस ओ एफ एनसी इंटरनेशनल कोरिया	0.82	किग्रा0
14	5404 11 00	-वही-	-वही-	दक्षिण कोरिया	कोई	कोई	कोई	1.90	किग्रा0
15	5404 11 00	-वही-	-वही-	कोई	दक्षिण कोरिया	कोई	कोई	1.90	किग्रा0

16	5404 11 00	-वही-	-वही-	ताइवान	ताइवान	कोई	कोई	2.40	किग्रा0
17	5404 11 00	-वही-	-वही-	ताइवान	कोई	कोई	कोई	2.40	किग्रा0
18	5404 11 00	-वही-	-वही-	कोई	ताइवान	कोई	कोई	2.40	किग्रा0
19	5404 11 00	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम	होसंगत वितनाम होसंग डोंग नाई	होसंगत वितनाम होसंग डोंग नाई	0.36	किग्रा0
20	5404 11 00	-वही-	-वही-	वियतनाम	कोई	कोई	कोई	2.16	किग्रा0
21	5404 11 00	-वही-	-वही-	कोई	वियतनाम	कोई	कोई	2.16	किग्रा0

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच साल तक की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के लिए लागू विनिमय दर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 में विनिर्दिष्ट है और विनियम दर के निर्धारण के सुसंगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल में दी गई है ।

(फा. सं. 354/231/2016-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार